20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये CANCELLED

(3)

(460)

माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र/अपील/सिवनी/भू.रा/2017/14994

द्वितीय राजस्व अपील क्रं0 अ 19 वर्ष 16-17

रविन्द्रनारायण पिता स्व0 श्री तुलसीराम भारद्वाज

उम्र लगभग वर्ष निवासी जी एन रोड मंगलीपेठ

सिवनी थाना तहसील वा जिला सिवनी (म0प्र0) ---अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ------ उत्तरवादी

द्वितीय राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0 भू रा0 सं0

अपीलार्थी ; विद्वान कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रथम अपील राजस्व अपील क्रं0 ~~68~~47 अ 19 वर्ष 15-16 मे पारित ~~पारित~~ आदेश दिनांक 16-8-17 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है :-

तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकारसे है कि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि ग्राम गोपालगंज ह0नं0 60 रा0 नि0म0 सिवनीभाग एक तहसील वा जिला

(3)

- रविन्द्रनारायण भारद्वाज

प्रस्तुत ... 15 NOV 2017 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/अपील/सिवनी/भू.रा./2017/4994 **जिला** – सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि की अदला–बदली का है। विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा जिस भूमि को बदले में चाहा जा रहा है, उस भूमि के आंशिक भाग का उपयोग शासकीय उ0मा0वि0 के रूप में किया जा रहा है। आयुक्त ने अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि अपीलांट की भूमि पर वर्ष 1990–91 से शासकीय स्कूल का निर्माण होकर संचालित है उस समय उसके द्वारा कोई आपत्ति न करना उसकी सहमति मानी जायेगी। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकण में आयुक्त ने कलेक्टर के निष्कर्ष को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। आयुक्त का आदेश उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	